न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केकड़ी जिला अजमेर

राजस्व वाद 108 / 2018 (2018 / 00127)

शैतान रेगर पुत्र छगना जाति रेगर निवासी ढ़िगारिया तहसील जहाजपुर जिला भीलवाडा

----प्रार्थी

♠ बनाम ♠

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार केकड़ी तहसील केकड़ी जिला अजमेर

---- अप्रार्थीगण

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राज. लैण्ड रेवेन्यु एक्ट

आदेश

दिनांक 17.11.2021

पत्रावली आज प्रशासन गावों के संग अभियान केम्प कालेडा कृष्णगोपाल तहसील केकडी जिला अजमेर में प्रस्तुत हुई। प्रार्थी /अप्रार्थीगण उपस्थित। उभयपक्षों को सुना गया, संक्षेप में विवरण निम्नानुसार है।

प्रार्थी द्वारा राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 128 राज. लैण्ड रेवेन्यु एक्ट के तहत प्रस्तुत किया है। उक्त प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजीयात वाके **ग्राम बोगला** की जमाबन्दी संवत **2072–75** में दर्ज अंकन निम्मानुसार दर्ज रिकार्ड है:–

खाता संख्या (नया–पुराना)	खसरा नम्बर	रकबा (हे.)	किस्म
56–111	1895	1.70	बरानी 1

उक्त प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजीयात प्रार्थी की खातेदारी की आराजीयात है प्रार्थी ही आराजीयात पर कब्जे काश्त कर पैदावार प्राप्त करता चला आ रहा है। उक्त आराजी प्रार्थी की कब्जे काश्त, आधिपत्य ,स्वामित्व में है। प्रार्थी ही मौके पर काबिज है तथा काश्त करता चला आ रहा है। प्रार्थी की उक्त आराजीयात की सीमाए अस्पष्ट हो गई है। प्रार्थी ने पूर्व में भी अपनी आराजी का नापचोप करवाना चाहा तो वर्णित आराजीयात के पडोसी द्वारा लडाई झगडा करने पर उतारू हो गये जिस कारण से पटवारी हल्का द्वारा नापचोप नही किया जा सका, आराजी के पडोसी नही मान रहे है आये दिन प्रार्थी को हेरान परेशान कर रहे है प्रार्थी की प्रार्थना पत्र वर्णित आराजीयात में दखदअन्दाजी करते है। प्रार्थी से लडाई झगडा करने पर उतारू हो जाते है। प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का कारण दिनांक 01.04.2018 को उत्पन्न हुआ जब पडोसियों ने दौबारा प्रार्थी की आराजीयात में घुसने का प्रयास किया और लगातार सीमाज्ञान हल्का पटवारी को नही करने दे रहे है। जिससे प्रार्थना पत्र पेश करना लाजमी आया।

प्रकरण श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार का होने से दर्ज रजिस्टर किया गया। पेरोकार सरकार उपस्थित हुए। उन्हें सुना गया। पेरोकार सरकार को पत्थरगढी किये जाने में कोई आपत्ति नहीं है। पेरोकार सरकार ने आदेशिका पर अंकित किया कि पत्थरगढी के आदेश पर राजहित अप्रभावित रहेगा।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया । पक्षकारान की बहस पर मनन किया। प्रार्थी प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजी का खातेदार काश्तकार है। खातेदार काश्तकार को स्वयं की खातेदारी की पत्थरगढी करवाने के हक अधिकार है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र बाबत पत्थरगढी अन्तर्गत धारा 128 भू.रा.अधि. के तहत स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार केकडी वाके ग्राम बोगला की जमाबन्दी संवत 2072–75 के खाता संख्या नया पुराना 56–111 खसरा नम्बर 1895 रकबा 1.70 है. किस्म बारानी 1 की पत्थरगढी प्रार्थी द्वारा नियमानुसार पत्थरगढी शुल्क जमा कराने पर कार्मिकों की टीम गठित करके की जावें। खर्चा फरिकेन अपना अपना वहन करें।

आदेश आज दिनांक 17.11.2021 को केम्प कालेडा कृष्णगोपाल में मजमे आम मे सुनाया गया।

(विकास पंचोली)

उपखण्ड अधिकारी

केकडी, अजमेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2022.01.14 11:27:48 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner